



कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड-495001

फोन : 07752-227624, फैक्स : 07752-221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 193

बिलासपुर, दिनांक 25-01-2022

प्रति,

✓ अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक

(भू-प्रबंध)

अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for East Rail Corridor Project Construction of New BG electrified line from Uрга to Dharamjaigarh from Km 0 to Km 62 in Korba and Raigarh district in Chhattisgarh, area- 157.035 ha. Regarding -

- संदर्भ :- 1. आपका पत्र क्र./भू- प्रबंध/खनिज/एल.एम-331-29/2691 दिनांक 27.10.2021
2. वनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ का पत्र क्र./तक./..... दिनांक

—0—

विषयान्तर्गत प्रतिवेदन है कि, आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर परियोजना अन्तर्गत उरगा से धरमजयगढ़ तक लगभग 62 कि.मी. रेल लाईन निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जिसमें धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत 97.667 हे. (राजस्व वन भूमि 51.494 हे., एवं आरक्षित संरक्षित वन 46.173 हे.) तथा कोरबा वनमण्डल अंतर्गत 59.368 हे. (राजस्व वन भूमि 35.885 हे., आरेन्ज एरिया 16.242 हे. एवं आरक्षित संरक्षित 7.241 हे.) कुल 157.035 हे. का प्रस्ताव अभिमत सहित प्राप्त हुआ है, विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर रकबा 157.035 हे. हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। संलग्न है।	1 से 11
2	प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक)	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र का प्रपत्र 1 में रजिस्ट्रेशन कोड संलग्न है।	12 से 15
3	वन क्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन भूमि का विवरण संलग्न है।	16 से 22

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
4	गैर वन क्षेत्र विवरण	प्रकरण में प्रस्तावित गैर वन क्षेत्र का विवरण संलग्न है ।	23 से 28
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपाशीट 1:50000 स्केल पर	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया का टोपोशीट 1:50000 संलग्न है ।	29 से 33
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र का स्टॉक मैप संलग्न है ।	34 से 38
7	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र हेतु प्रपत्र 4 में प्रस्ताव तैयार कर संलग्न है ।	39 से 61
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप	प्रकरण में प्रस्तावित वन एवं राजस्व वन क्षेत्र हेतु प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप संलग्न है ।	62 से 67
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी, देय होगी) नए यूनियन बैंक एवं कार्पोरेशन बैंक, नई दिल्ली के बचत खातों का विवरण संलग्न है ।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे वन एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 157.035 हे. हेतु दुगुने वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की राशि जमा करने का वचन पत्र प्रस्तुत किया गया है संलग्न है ।	68 से 70
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र	प्रकरण में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता का प्रमाण पत्र संलग्न है ।	71 से 77
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (जिन प्रकरण में लागू न हो उसके भारत सरकार का परिपत्र लगा कर उल्लेख करें) सिंचाई के प्रकरण में 10,000 हे. तक में राज्य पर्यावरण प्रदूषण मंडल से स्वीकृति (भारत सरकार पर्यावरण एवं मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14.09.2016) इससे अधिक में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से लिया जाना आवश्यक है ।	प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति का प्रमाण पत्र संलग्न है ।	78 से 116
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब से)	प्रकरण में प्रस्तावित वन क्षेत्र रकबा 157.035 हे. में प्रभावित वृक्षों की गणना पत्रक कर (प्रपत्र – अ एवं ब) विवरण संलग्न है ।	117 से 522
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र हेतु काष्ठ बेनिफिट एनालिसिस योजना तैयार कर संलग्न है ।	523 से 526

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
14	— चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र सक्षम अधिकारी का हस्तातरण आदेश) — राजस्व वन क्षेत्र (संलग्न प्रपत्र में अधिसूचना मय नक्शा प्रस्ताव तथा 3 प्रति में पृथक से वन संरक्षक के हस्ताक्षर एवं सील सहित आवेगा)	आवश्यक नहीं है।	527 से 529
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा	आवश्यक नहीं है।	530 से 532
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ वर्षीयमय उपचार मानचित्र आक्षांश, देशांश, प्रजाति विवरण सहित) जो असिंचित क्षेत्र चयनित होगा उसका वनमंडलाधिकारी का प्रमाण पत्र पृथक से आवेगा।	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा प्रभावित हो रहे वन एवं राजस्व वन क्षेत्र रकबा 157.035 हे. के बदले वन मण्डल कटघोरा में दुगने बिगड़े वनक्षेत्र रकबा 315.00 हे. का वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना में तैयार किया जाकर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	533 से 586
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र	उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है।	587 से 595
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों का विवरण	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	596 से 598
19	अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	599 से 601
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही	प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।	602 से 604
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	605 से 608
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान	आवश्यक नहीं है। संलग्न है।	609 से 611
23	रिक्लेमेशन प्लान	आवश्यकता नहीं है। संलग्न है।	612 से 614
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)	आवश्यकता नहीं है। संलग्न है।	615 से 617

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
25	व्यवस्थापन प्लान	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर द्वारा प्रकरण व्यवस्थापन प्लान प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	618 से 692
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I में IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा	प्रकरण में वन मण्डलाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय अनुशंसा सहित संलग्न है।	693 से 725
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र	प्रकरण में ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र संलग्न है।	726 से 728
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	प्रकरण में आवेदक संस्थान द्वारा परियोजना से संबंधित ग्रामों के ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	729 से 794
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)	संलग्न है।	799 से 796
30	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में	संलग्न है।	797 से 799
31	व.स.अ. - 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में	संलग्न है।	800 से 802
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारिडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन वनविभाग का पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12.01.2010)	प्रकरण में प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में आने वाले राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारिडोर की जानकारी संलग्न है।	803 से 805
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)	प्रकरण में 15 कि.मी. परिधि के नक्शों की आवश्यकता नहीं है।	806 से 808
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई	प्रकरण में आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र में वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण संबंधी	809 से 827

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
	दिल्ली का पत्र क्रमांक/एफ.नम्बर – 1-9/1998-FC दिनांक 03.08.2009) ग्राम सभा का ठहराव प्रस्ताव (Resolution) आवश्यक रूप से संलग्न करें।	अनापत्ति प्रमाण पत्र कलेक्टर रायगढ़ से प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है। संलग्न है।	
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र./1317 दिनांक 25.05.2007)	प्रकरण में प्रभावित हो रहे राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर रायगढ़ का प्रमाण पत्र संलग्न है।	828 से 837
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र।	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य की राशि जमा करने का वचन पत्र दिया है संलग्न है।	838 से 840
37	Clearance under FC Act, 1980: Deposition of Funds with the Ad-hoc CAMPA : Remittances to Precede 2 nd stage Clearance (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 7-1/2004(CAMPA) Meeting 3068 date 12.05.2011	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर द्वारा प्रकरण में जमा किये जाने वाली समस्त राशि कैम्पा मद में जमा किये जाने का वचन पत्र दिया गया है। संलग्न है।	841 से 843
38	"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it".(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक 6.MPC 013/2008-BHO/357 दिनांक 24.02.2010	आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।	844 से 848
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक Fno.2-1/2003-FC दिनांक 06.01.2011)	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर द्वारा उक्त परियोजना में किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है संलग्न है।	849 से 851
40	Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non. Forestry purposes under the Forest (Conservation) Act, 1980 - Stipulation of additional Condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute) (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक Fno. 11-9/1998-FC दिनांक 04.01.2011)	प्रमाण पत्र संलग्न है।	852 से 854

क्र.	अभिलेख का विवरण	प्रस्ताव का विवरण	पृ.क्र.
	राज्य शासन से संबंधित अभिलेख		
41	पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31.07.2009	संलग्न है।	855 से 857
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (विशेषकर खनन प्रकरणों में)	आवेदक संस्थान छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल कारिडोर द्वारा प्रकरण में वन्य प्राणी परियोजना प्रस्तुत नहीं किया गया है।	858 से 860
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीनविकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-CHC 022/2010-BHO/934 दिनांक 24.05.2010)	आवश्यक नहीं है।	861 से 863
44	प्रस्ताव में अन्य (Misc) कमियों का विवरण -	प्रकरण में प्रभावित क्षेत्र एवं प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. एवं अन्य अभिलेख संलग्न है।	864 से 996
45	आवेदित वनक्षेत्र एवं प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के डी.जी.पी.एस. सर्वे प्रतिवेदन की वनमण्डलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति डी.जी.पी.एस. की के.एम. एल. फाईल सहित सॉफ्ट प्रति के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र	आवेदक संस्थान का पत्र क्र./622 दिनांक 08.11.2021 द्वारा 45 बिन्दुओं की जानकारी प्रगति पर है लेख किया गया है।	997 से 998

अतः प्रस्ताव निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार बिन्दुवार तैयार कर 05 प्रतियों में सम्प्रेषित है।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव 4 प्रतियों में)

पृ.क्र./तक./2022/ 194

प्रतिलिपि :-

- (1) वनमण्डलाधिकारी, धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल की ओर सूचनार्थ।
- (2) Chief Operating Officer C.G. East Railway Ltd. 2nd Floor CSIDC Commercial Complex Mahadev Ghat Road Raipur (C.G.) की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर
/बिलासपुर, दिनांक 25.01.2022

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेपों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता मे. छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड द्वारा धरमजयगढ़ एवं कोरबा वनमण्डल में आरक्षित वन रकबा 5.096 हे. एवं संरक्षित 48.318 हे., ऑरेंज वन क्षेत्र रकबा 16.242 हे., राजस्व वन क्षेत्र रकबा 87.379 हे. कुल 157.035 हेक्ट. उरगा से धरमजयगढ़ रेल्वे लाईन निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण दिनांक 20.01.2022 को किया गया है।

प्रभावित वनक्षेत्र में तेन्दुआ, भालू तथा अन्य वन्यप्राणी विचरण हेतु रेलवे लाईन के चिन्हित आवागमन स्थानों में अंडर/ओवर पासेस निर्माण करना प्रस्तावित है। प्रकरण में वन्यप्राणी योजना तैयार कर पृथक से अनुमोदन हेतु प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, वन्यप्राणी को प्रेषित किया जायेगा।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ।

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

अनुसंशित।

दिनांक - 25/01/2022

(नवीद शुजाउद्दीन) भा.व.से.

मुख्य वन संरक्षक

बिलासपुर वृत्त बिलासपुर